## राजस्थान सरकार

## नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग

(29)

्रक्रमांकः ९. ३ (२८) न.वि.वि./3/96

2

3

3

1 1.

Sec.

ART .

100

जयपुर, दिनांक : 22.2.2000

## परिपत्र

राज्य के नगरीय क्षेत्र में आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग के प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के नियमन के सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनाक 22.12.99 का क्रियान्वयन अधिकांश शहरी निकायों द्वारा कर्मचारियों की हड़ताल के कारण समय पर नहीं हो सका था। इसलिए इस परिपत्र में उल्लेखित विभिन्न चरणों की क्रियगेन्वाते को निर्धारित समय सीमा निकल जाने के फलस्वरूप नगरपालिका, परिषदों, निगमों तथा नगर विकास न्यासों की और से इस अवधि में पुन: मार्गदर्शन के लिए आग्रह किया जाता रहा है। तद्नुसार 22 दिसम्बर, 1999 को जारी परिपत्र की निरंतरता में अब नियमन के कार्य को निष्धादित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

नियमन के लिये रेकार्ड प्राप्त करना :-

(अ) पूर्व में जारी परिपत्र दिनांक 22.12.99 के बिन्दु संख्या 1-2-3 में नियमन के लिए रेकार्ड प्राप्त करने की अंतिम तिथि अधिकृत प्राधिकारी सुविधा एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार निर्धारित करेंगे, किन्तु यह कार्य अधिकृतम 31 मार्च, 2000 तक पूरा किया जायेगा। कैम्प तिथियों की घोषणा अग्रिम रूप रो की जावे ताकि स्वनिर्धारण के आधार पर भूखण्डधारियों द्वारा राशि जमा करवाई जा सके।

- (ब) खाते रार और गृह निर्माण सहकारी समितियों के अतिरिक्त भूखण्डों के ऐसे क्रेता जिन्होंने भूखण्डों पर निर्माण करके भूमि का उपयोग बदल लिया है। वे भी परिपत्र 22.12.99 के बिन्दु संख्या 2 (1) के प्रयोजनार्थ भू-समर्पण के लिये दस्तावेज प्रस्तुति के साथ आवेदन कर सकेंगे।
  - (स) नियमन को प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्व परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 मे उल्लेखित क्षेत्रवार शिविर 1 अप्रैल, 2000 से आरंभ करना सुनिश्चित किया जाये।

इस कार्य को सम्पन्न कराने हेतु जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकातियों को इस कार्य में लगा सकेंगे। इस प्रकार से अतिरिक्त तहसीलदार, पटवारी आदि भी सम्बन्धित न्यासों/नगर परिषदों/पालिकाओं को प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। यदि अतिरिक्त तहसीलदार व पटवारी मिलने में कठिनाई आवे तो जिला कलेक्टर अपने विवेक

से ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को अधिकतम 6 माह\* की अवधि तक रख सकेंगे। इसकी कार्योत्तर स्वीकृति नगरीय विकास विभाग से ले लो जावे।

2. नियमितिकरण की सीमा :-

2

2

2

2

5

5

.

- (अ) नगरपालिका/परिषद्/निगम/नगर विकास न्यास के प्राधिकृत अधिकारों केवल आवासीय प्रयोजन के निर्मित्त अधिकृतम 1500 वर्ग गज तक के भूखण्डों का ही नियमितिकरण करेंगे।
- (ब) इस प्रक्रिया में गैर आवासीय प्रयोजन के निर्मित हिस्से तथा खाली भूखण्डों के 500 वर्ग गज तक के भू-उपयोग परिवर्तन को स्वीदृति के अधिकार भी जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में भूं-उपयोग परिवर्तन के लिये गठित जिला स्तरीय सामिति को होगा। किन्तु यदि ऐसे कृषि भूमि पर चने आवासीय भवनों के निर्मित भाग में 50 वर्ग गज तक गैर आवासीय निर्माण कर लिया गया है तो उसका नियमन सम्बन्धित शहरी निकाय के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/नगर विकास न्यास के सचिव जैसी स्थिति हो और जो अधिकारी जिस शहरी क्षेत्र के लिये अधिकृत हो, उसे नियमन कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में लगाई जाने वाली दरें अलग से सूचित की जा रही है।
- (स) 1500 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल के कृषि भूमि आवासीय में भू उपयोग परिवर्तन के मामले में राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावेगी। ऐसे प्रकरण सम्पन्धित निकाय के नियमन के लिए अधिकृत अधिकारी पालिका/परिषद्/निगम के मामले में उप शासन सचिव स्वायत्त शासन-निदेशक, स्थानीय निकाय को तथा न्यासों के मामले में उप शासन सचिव (प्रथम) (नगरीय विकास विभाग) को अपनी अनुशंषा के साथ प्रेषित करेंगे।

3. शहरी निकायों के निषेध क्षेत्र के लिये :-

(अ) नाजट आबू, उदयपुर व जयपुर के लिये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 171 के अन्तर्गत निषेध क्षेत्रों के ऐसे सभी प्रकार के मामले चाहे उनदे. ूखण्डों का क्षेत्रफल कितना भी हो, राज्य सरकार द्वारा नियमित किये जायेंगे। सम्बन्धित शहरी निकाय के आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी ऐसे कुल मामले एक साथ तैयार कर नियमन

आदेश क्रमांक 1 (50) न.वि.वि./2/2000 दिनांक 11.1.2000 के द्वारा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर एवं श्रीगंगानगर को 6 माह के लिये अस्थायी नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान को गयी है।

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

 $\mathbf{O}$ 

0

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

0

 $\bigcirc$ 

 $\Theta$ 

0

Ó

0

0

 $\bigcirc$ 

 $\bigcirc$ 

0

θ

0

0

0

0

0

1

.)

)

)

2

के अंतिम आदेश के लिए उप शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित करेंगे। जहां इनका विश्लेषण करके, नियमन के आदेश प्रदान किये जावेंगे।

A

3

(ब) धार्मिक महत्व के साथ-साथ पर्यटन के लिए विकसित पुष्कर; नाथद्वारा एवं जैसलमेर को शहरो सोमाओं के 1500 वर्ग गज तक के आवासीय भू उपयोग परिवर्तन के नियमन के मामले एक साथ तैयार कर इन पालिकाओं के अधिशाषी अधिकारी निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रस्तुत करेंगे, जहां इन तोनों नगरों के ऐसे प्रकरणों का विश्लेषण किया जायेगा। निदेशालय के अनुमोदन के परचात् ही इन निकायों द्वारा नियमन पत्र जारो किये जा सकेंगे।

अत: भू समर्पण के लिये अधिकृत प्राधिकारी एवं शहरी निकायों के न्यास सचिव, मुख्य कार्यकारी/आयुक्तगण/अधिशाषी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे जनहित की इस महत्वपूर्ण योजना को क्रियान्वित करने की तत्काल कार्यवाही आरंभ करेंगे। यद्यपि अब इस कार्य में कोई कठिनाई या शंका के समाधान की आवश्यकता प्रतीत नहीं होनी चाहिये फिर भी किसी संभावित कठिनाई के समाधान के लिये निदेशक स्थानीय निकाय व उपशासन सचिव, नगरीय विकास (प्रथम) से दूरभाष पर चर्चा करके या पत्र के जरिये स्थिति स्पष्ट करें।

इस कार्य की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट पालिकाओं के मामले में निदेशक, स्थानीय निकाय व न्यासों के मामलों में उप शासन सचिव (प्रथम) नगरीय विकास न्यास को प्रेषित करना अनिवार्य है।

> सही/--( जी.एस. संधू ) शासन सचिव

(337)

(76)